



राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

Rajasthan University of Health Sciences

सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर -302033


दूरभाष : 0141-2795501, फ़ैक्स : 0141-2791803

यू0ओ0नोट

विषय:-विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जारी मेडिकलेम पॉलिसी बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में (01.01.2004 व उसके पश्चात नियुक्त कर्मिकों हेतु जारी की जाने वाली पॉलिसी) कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए साधारण बीमा निधि की समूह मेडिकलेम बीमा पॉलिसी वर्ष 2020-21 की नं. जी.आई.एफ./81/मेडि./2020-21/03 (बीमा अवधि 07.04.2020 से 06.04.2021 (मध्य रात्रि) राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा जारी पॉलिसी, आपके अनुभाग/कार्यालय में कार्यरत कर्मिकों को, सूचनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(डॉ. बलवीर सिंह राठौड)
उप-कुलसचिव

प. 2()संस्थापन-1/राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2020-21/2489-2511 दिनांक 12/06/2020

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
2. निजी सहायक, प्रति-कुलपति महो./कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक/परीक्षा नियन्त्रक, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
3. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/प्रभारी अधिकारी/अनुभागाधिकारी (शैक्षणिक-1/शैक्षणिक-11/प्रवेश परीक्षा/रिसर्च/संस्थापन-1/संस्थापन-11/स्टोर/आर.टी.आई./विधि/लेखा/परीक्षा/गोपनीय/सैलर/ नामांकन/आवक-जावक/सुगम सम्पर्क), राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
5. प्रभारी अधिकारी-विश्वविद्यालय वेबसाईट, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त जारी मेडिकलेम पॉलिसी को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राक्यायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)

डी- ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर-302005
दूरभाष - 2740252, 2740219, 2740282 (फैक्स)

E-mail: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in
Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

मेडिकलेम बीमा पॉलिसी शिड्यूल (नवीनीकृत)
(विशेष निर्मित पॉलिसी)

उप कूल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./81/मेडि./2020-21/03

बीमा अवधि : 07.04.2020 से 08.04.2021 (मध्य रात्रि)

बीमित का नाम : दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के 40 कार्मिक एवं उन पर आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : 14.05.2020

कुल बीमा राशि : रुपये 3 लाख

(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आश्रित परिजन)

प्रीमियम :7500/- +30 Category -A / B / C जी.ए.ए.टी.-Nil

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त): 49

शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रु. 3,68,970/-

जी.ए.ए.टी. : Nil/-

कुल प्रीमियम रु. 3,68,970/-

ई-ग्रास GRN सं 0039197569 दिनांक 18.04.2020 राशि रु. 3,68,970/- (चालान सं 21554 समारोवन दिनांक 18.04.2020)

जोखिम का विवरण

जोखिम आवरण

पॉलिसी-बीमा राशि

: राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कार्मिक व परिजनों हेतु ग्रुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित

: 3 लाख प्रति कार्मिक परिवार

पॉलिसी क्लॉज के अध्यक्षीन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कार्मिक के परिवार में निम्न

शामिल है:

- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर कार्मिक (स्वयं),
- उसका/उसकी पति/पत्नी
- 2 आश्रित बच्चें जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हों।
- आश्रित माता-पिता राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कार्मिक पर आश्रित नाने जावेगें जबकि वे सामान्यतया राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कार्मिक के साथ, उसके वैवाहिक स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय समी स्रोतों से रुपये 2000/-से अधिक नहीं हों।

वर्ष 2020-21 की पॉलिसी के संचालन के लिए एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि। नियुक्त है। टोल फ्री नं.- 1800-123-171-171

टीपीए डेस्क, एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.

832, किसान मार्ग, बरकत नगर,

जयपुर - 302015 (राजस्थान) फोन नं.:7219831003

ई-मेल: jaipur@mdindia.com


आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें +91 8956325949


(श्री अमिलाबा सिंह, सहायक प्रबन्धक, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।

[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट (www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]

साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पॉलिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर कार्मिक को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।


उप निदेशक(मेडि0)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
सा.बी.नि.,राजस्थान, जयपुर


अति. निदेशक(मेडि0)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
सा.बी.नि.,राजस्थान, जयपुर

